

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय तहसीलदार नोखड़ा

प्रकरण संख्या 12/2024

**प्रार्थी**  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी धोलानाडा

**बनाम**

**अप्रार्थी**  
खेताराम वल्द लालाराम  
कौम मेघवाल, निवासी कानासर  
तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक: 30.08.2024

—: निर्णय :-

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का धोलानाडा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कानासर के खसरा नं. 269/1 किस्म बरानी दोयम (समर्पित भूमि) रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से 0.5883 हैक्टेयर पर अनधिकृत रूप से बाजरा काशत कर कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि 30.08.2024 को प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया। अतः राजस्थान भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जा कर कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जिस पर अप्रार्थी का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 29 पैसा का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए राउण्ड अप 15 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा काशत किया गया बाजरा फसल सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी धोलानाडा व ILR आडेल तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
तहसीलदार नोखड़ा